विहार विधान सभा वादवृत्त।

शुक्रवार, दिनांक १६ सितम्बर, १९५५।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एक विधान सभा का कार्य विवरण। सभाका अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि १६ सितम्बर, १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्देश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री राम चरित्र सिंह—महाशय, मैं गत पंचम (सितम्बर–अक्टूबर, १९५५) सत्र के रुके हुए शेष १४६ अतारांकित प्रश्नों में से ४६ प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूं। शेष अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किए जायेंगे।

ये हैं गत पंचम (सितम्बर-अक्टूबर, १९५५) सत्र में पूछे गए ४६ अतारांकित प्रश्नों के उत्तर। शेष प्रश्नों के उत्तर संबंधित विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

रघुनाथ प्रसाद,
सचिव,
विहार विधान सभा।

क्रम संख्या।	सदस्य।	प्रश्न संख्या।
१	श्रीमती मनोरमा देवी	८२, १०६।
२	श्री रामानन्द तिवारी	८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९४, ९६, ९७, ९८, १०७।
३	श्री कर्पूरी ठाकुर	९०, ९२, ९३, १०१, ११२, ११३, ११५, ११६, ११७।
४	श्री रामचन्द्र प्रसाद शाही	९१, १२७।
५	श्री जानकी प्रसाद सिंह	९५।
६	श्री जगलाल महतो	१००।
७	श्री वासूकी नाथ राय	१०२।
८	श्री शक्ति कुमार	१०३, ११४।
९	श्री शीतल प्रसाद भगत	१०४।
१०	श्री चन्द्रमणी लाल चौधरी	१०५, ११०।
११	श्री अंकुरा हो	१०८।
१२	श्री जयनारायण झा 'विनीत'	१०९।
१३	श्री रामचरित्र यादव	१११।
१४	श्री रामसुन्दर तिवारी	११८, १२१।
१५	श्री राधा मोहन राय	११९।
१६	श्री शरत् मोची	१२०।
१७	श्री डुमर लाल बैठा	१२२।
१८	श्री भुवनेश्वर पाण्डेय	१२३, १२४।
१९	श्री बोकाय मंडल	१२५।
२०	श्री पुनीत राय	१२६।
	कुल	४६

DELAY IN THE PAYMENT OF DEARNESS ALLOWANCE OF THE TEACHER OF R. B. H. E. SCHOOL HILSA.

*212 Shri MUNDRIKA SINGH : Will the Minister in charge of the Education Department be pleased to state:—

(1) whether it is a fact that full amount of Government dearness allowance for 1954-55 admissible to different teachers of the R. B. H. E. School, Hilsa in the district of Patna has been drawn from Government treasury but disbursement of all the amount has not been made as yet ;

(2) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, (*i*) what action do Government propose to take for effecting an early disbursement of the full amount, and (*ii*) what action do Government propose to take against the persons responsible for this delay ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—(१) हां, यह रकम, इंसपेक्टर ऑफ स्कूल्स की आज्ञा से निकाली गयी और स्टेट बैंक के डिपाजिट ऐट काल नं० ई०-११५७०, तारीख ४ अप्रैल, १९५५ में जमा है।

(२) शिक्षकों का डीयरनेस एलाउन्स रोक कर रखा गया है सेकेंडरी बोर्ड की आज्ञा से चूंकि शिक्षकों के खेलाफ यह शिकायत की गई थी कि उनके बहकावे में पड़कर छात्रों ने बहुत तरह से अनुशासन का विरोध किया। हिलसा रेलवे स्टेशन पर धावा किया और वहां के रेलवे स्टाफ को मारा-पीटा तथा बहुत-सा सामान बरबाद किया। जबतक स्कूल में ठीक वायुमंडल नहीं होता है और वहां अनुशासन के साथ काम नहीं होता है तबतक उन रुपयों के देने की बात नहीं है।

श्री मुंद्रिका सिंह—क्या लड़कों के बहकाये जाने की बात शिक्षकों द्वारा जो की गई उसकी जांच हुई है ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—जांच होने के बाद ही कार्रवाई की गई।

श्री मुंद्रिका सिंह—उनपर कोई मुकदमा चलाया गया है ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—शिक्षा विभाग को कोई मुकदमा चलाने की बात नहीं है।

श्री मुंद्रिका सिंह—जवाबदेह शिक्षकों ने विद्यार्थियों को इस तरह का काम करने के लिए बहकाया, यह बहुत भारी आरोप है अबेटमेंट का। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनपर कोई फौजदारी मुकदमा किया गया है या नहीं ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—फौजदारी मुकदमा तो रेलवे को लाना है, सरकार को नहीं।

श्री मुंद्रिका सिंह—शिक्षा विभाग के जवाबदेह शिक्षक इस तरह का काम करें तो उनपर अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई की जा सकती है और फौजदारी मुकदमा भी किया जा सकता है ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—डियरनेस एलावेन्स को रोक कर रखा गया यही अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई है।

श्री मुंद्रिका सिंह—गवर्नमेंट जब समझती है कि जवाबदेह शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बहकाया और उनको गुमराह बनाकर रेलवे स्टेशन पर धावा कराया तो यह तो बहुत सीरियस बात है और क्या सिर्फ डीयरनेस एलावेन्स को रोक कर रख देना पर्याप्त है?

श्री बदरीनाथ वर्मा—शिक्षा विभाग का काम क्रिमिनल केस चलाना नहीं है। जो कानूनन उसके अधिकार की बात थी वह उसने किया।

श्री मुंद्रिका सिंह—वहां के स्कूल अधिकारियों को स्कूल समूह के इन्सपेक्टर ने इस तरह की हिदायत कभी दी कि इस तरह के गैर-जवाबदेह शिक्षकों को स्कूल में नहीं रखें?

श्री बदरीनाथ वर्मा—यह बहुत डिटेल की बात है। अलग सवाल की सूचना दें तो मैं जवाब दे सकता हूं।

श्री मुंद्रिका सिंह—इतने सीरियस चार्ज पर यह कोई डिटेल की बात नहीं है। यह तो बहुत प्राकृतिक और पहले जवाब का कंसिक्वेंश्यल सवाल है जो मैं कर रहा हूं।

अध्यक्ष—यह तो सिर्फ डीयरनेस एलावेन्स के बारे में सवाल है, जांच का डिटेल आप कैसे पूछ सकते हैं?

श्री मुंद्रिका सिंह—जांच का डिटेल नहीं पूछ रहे हैं। हम कहते हैं कि इतना सीरियस चार्ज है तो सिर्फ डीयरनेस एलावेन्स ही क्यों रोक कर रह गए, कोई क्रिमिनल केस क्यों नहीं चलाया गया?

अध्यक्ष—आप कहते हैं कि कम सजा क्यों दी, बेशी सजा होनी चाहिए, तब ठीक है।

श्री मुंद्रिका सिंह—हम कह रहे हैं कि रुपया नहीं बांटा गया और उस गलत ऐक्शन को जस्टीफाई करने के लिए ही यह इस तरह कह रहे हैं, नहीं तो ऐसे केस आयं तो यह इतना सीरियस चार्ज है कि सिर्फ डीयरनेस एलावेन्स ही ये नहीं रोक कर चुप रह जाते।

श्री बदरीनाथ वर्मा—डीयरनेस एलावेन्स इसी तरह नहीं रोका गया। रुपया बांटने के लिए तो निकाला ही गया लेकिन बीच में यह बाक्या हुआ और जांच से मालूम हुआ कि इस तरह की बात हुई। तब रोक दिया गया।

श्री मुद्रिका सिंह—अभी जवाब में कहा गया है कि सामान्य अवस्था होने पर दिया जायगा तो क्या मैं जान सकता हूं कि वह रुका हुआ रुपया मिलेगा?

श्री बदरीनाथ वर्मा—आगे का डीयरनेस एलावेन्स दिया जायगा।

भवनरी स्कूल के शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई।

*२१५। श्री राधा पांडेय—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भवनरी बुनियादी (बेसिक) स्कूल के शिक्षक प्रति शनिवार को घर जाते हैं और सोमवार को ट्रेन से १२॥ बजे आदापुर आकर स्कूल में १॥ बजे पहुंचते हैं;

(२) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर 'हां' है, तो क्या सरकार जांच कर उक्त शिक्षक पर कार्रवाई करेगी?

श्री बदरीनाथ वर्मा—(१) जांच के द्वारा यह पता चला है कि यह बात सही नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

जी० बी० एच० ई० स्कूल के भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई।

अ*२२०। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि जी० बी० एच० ई० स्कूल, शाहपुर पटोरी (दरभंगा) के भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध कुछ गंभीर आरोप वहां की नवनिर्मित समिति द्वारा लगाये गये थे;

(२) क्या यह बात सही है कि समुचित अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल के बाद आरोप सही साबित हुआ था;

(३) क्या यह बात सही है कि आरोप प्रमाणित होने पर भी अब तक उक्त मंत्री के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यद्यपि उक्त मंत्री के अपराध किये कई वर्ष बीत गये और मामले की जांच-पड़ताल के भी लगभग डेढ़-दो वर्ष बीत गये;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अविलम्ब इस संबंध में कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है?

श्री बदरीनाथ वर्मा—(१) जी हां।

(२) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। स्कूल के ३७२ बोरे सीमेंट बेचकर उसका हिसाब नहीं देने का आरोप सही था।

अ—सदस्य की अनुपस्थिति में श्री वशिष्ठ नारायण सिंह के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।